

तारीख
हुकम

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण
साथीक काय स्वागित रखा / P.O. २
मीटिंग / ~~आदेश~~ / ~~अहकाम~~ में। पत्रावली
वास्ते ~~10/11/25~~ दिनांक 24/12/25
को पेश हो।

25/11/25 पत्रावली पेश / वकील पस 357
वास्ते ~~वदख इन्वेस्टिड न बहा~~
रूपेय जाम 1/1/26 का पेश
हो। Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

6/1/26 पत्रावली पेश / वकील पस 357
वास्ते ~~वदख इन्वेस्टिड न बहा~~
रूपेय 1/1/26 का पेश
हो। Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

14/1/26 पत्रा. पेश / वास्ते नोटिस
80/1/26 का पेश हो। Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

30/1/26 पत्रा. पेश / वास्ते आदेश 23/2/26
का पेश हो।

Che
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

23/2/26 पत्रा. पेश।
प्रार्थी ने यह प्रार्थना की है कि
प्रतिवादी उसके हिस्से की जमीन
पर कब्जा न करे। इसके लिए
प्रतिवादी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा

तारीख

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहका
हुकम व
में ज

दी जाया

जमाबंदी अनुसार बादी का हिस्सा

खसरा नं. 305, 320/705 व

321/707 में निहित है इसमें

प्रतिवादी बिना बादी के स्वीकृति

के दस्तावेजित नहीं कर सकता।

बादी को अपूर्णिय क्षति से

सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

व प्रार्थी विभाजन के द्वारा धारा

53 के तहत अपना हिस्सा पृथक

करवा सकते हैं एवं प

प्रतिवादी विभाजन के पक्ष में न ही

अतः यह न्यायलय प्रार्थना पत्र

कार्रिज करता है।

निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को

सुनाया गया।

पत्रावली फॉर्म सुपारट धकर

दाखिल फॉर्मलर है।



Che
रामेश्वर